एसपीएमसीआईएल

SPMCIL

एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना - 2012

SPMCIL COMPASSIONATE APPOINTMENT SCHEME - 2012

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.

(Wholly Owned by Govt. of India)

निगम कार्यालय

नई दिल्ली

CORPORATE OFFICE

NEW DELHI

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	शीर्षक	1
3	उद्देश्य	1
4	किन पर लागू	1
5	परिभाषाएं	2
6	जिन परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है	3
7	सामान्य शर्तें	3
8	बचाव खंड	4

एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना - 2012

1. भूमिका

टकसालों, प्रेसों एवं कागज कारखाने का दिनांक 13.1.2006 से निगमीकरण किए जाने के बाद, दिनांक 1.11.2008 से सरकारी कर्मचारी एसपीएमसीआईएल की नामावली में आ गए, देखें प्रशासनिक मंत्रालय का आदेश दिनांक 29.5.2009 । दिनांक 15.9.2008 के समझौता ज्ञापन के खंड क्र. 29 के अनुसरण में कंपनी ने सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों की पत्नी/पति / कानूनी वारिसों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक योजना स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो कि अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त मुआवजे के भुगतान के लिए अधिसूचित की गई योजना, देखें कार्यालय आदेश क्र. CHO(HR)/Policy/277/08/1994 दिनांक 31.8.2009, के अतिरिक्त एक विकल्प के रूप में है ।

2. शीर्षक

इस योजना को "एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना – 2012" के नाम से जाना जायेगा तथा इस योजना के तहत केवल उन मामलों पर विचार किया जायेगा जहाँ कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु, योजना अधिसूचित किए जाने की तारीख पर या उसके बाद हुई है ।

3. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य कंपनी के उस कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है तथा संबंधित कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभावों से छुटकारा दिलाना है, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और जो अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी अन्य साधन के बिना छोड़ जाता है ।

4. किन पर लागू

यह योजना निम्नलिखित पर लागू होगी

(i) एसपीएमसीआईएल के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जो मृत्यु की तारीख तक कंपनी की स्थायी सेवा में हैं ।

(ii) हालांकि, कर्मचारी जिसकी आयु मृत्यु के समय 60 वर्ष की हो चुकी है और सेवा-निवृत्ति के प्रावधानों के कारण या किसी अन्य कारण से महीने की आखिरी तारीख पर उसकी वास्तविक सेवा-निवृत्ति नहीं हुई है, तो उसके कानूनी वारिस इस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

(iii) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी यदि मृतक कर्मचारी का कोई आश्रित सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/सार्वजानिक उपक्रम/शेयर बाजार की सूची में सम्मिलित संगठन में लाभप्रद रूप से नियोजित है ।

(iv) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी यदि मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों ने अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त मुआवजे के भुगतान का विकल्प चुना है ।

5. **परिभाषाएं**

5.1. 'कंपनी' से तात्पर्य है भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड । (इसके आगे इसे एसपीएमसीआईएल कहा जाएगा)

5.2. 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।

5.3. 'कर्मचारी' में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यरत निदेशक, कार्यपालक, पर्यवेक्षक, स्टॉफ के सदस्य और कंपनी के औद्योगिक कामगार और परिवीक्षा पर कर्मचारी सम्मिलित हैं लेकिन अंशकालिक कर्मचारी, आकस्मिक कर्मचारी और निर्धारित ठेका अवधि पर नियुक्त कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है ।

5.4. 'आश्रित' से तात्पर्य है :-

कर्मचारी की पत्नी / पति / बच्चे जो सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / सार्वजानिक उपक्रम / शेयर बाजार की सूची में सम्मिलित संगठन में लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं हैं ।

6. **जिन परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है**

(i) कंपनी कर्मचारी, जिसकी कंपनी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के आश्रित सदस्य को ।

(ii) जहाँ मृतक कर्मचारी का परिवार निर्धन अवस्था में है और उसे तत्काल वित्तीय अभाव से राहत की आवश्यकता है ।

7. **सामान्य शर्तें**

(i) एसपीएमसीआईएल की किसी भी इकाई में अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, औद्योगिक संवर्ग में डब्ल्यू-1 स्तर पर (ग्रेड वेतन रु.1800/-) और स्टॉफ संवर्ग में बी-3 स्तर पर (ग्रेड वेतन रु.2000/-) ।

(ii) ये नियुक्तियाँ किसी भर्ती वर्ष में उत्पन्न होने वाली कुल सीधी भर्ती रिक्तियों की उच्चतम 5% सीमा के अंदर की जायेंगी ।

(iii) केवल ऐसे मामलों पर विचार किया जायेगा जहाँ भरे जाने वाले पद के लिए अनिवार्य अर्हता पूरी की जाती हो । आयु सीमा में रियायत पर सक्षम प्राधिकारी विचार कर सकते हैं तथा ऐसा केवल मृतक कर्मचारी की पत्नी के लिए किया जायेगा ।

(iv) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए प्रथम प्राथमिकता पत्नी/पति को दी जायेगी । यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्नी/पति अपेक्षित अर्हता पूरी नहीं करता है या इच्छुक नहीं है, तो पत्नी/पति की सहमति के साथ आश्रित के आवेदन पर विचार किया जायेगा । यदि पत्नी/पति जीवित नहीं है, तो आश्रित, जो परिवार पेंशन का हकदार है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकता है ।

(v) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पर विचार किया जायेगा तथा इसे तब तक विचाराधीन रखा जायेगा जब तक आवेदक अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एकमुश्त मुआवजे का निर्णय नहीं ले लेता या योजना में उल्लिखित अन्य कारणों से वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं हो जाता है ।

(vi) अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां निगम कार्यालय द्वारा इकाई में आवेदन प्राप्ति की तिथि के क्रम में बनाई गई वरीयता सूची से की जायेंगी तथा ये सीधी भर्ती रिक्तियों के 5% तक सीमित होंगी । इस उद्देश्य के लिए इकाईयां अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई रिक्तियों की संख्या निगम कार्यालय को सूचित करेंगी तथा ऐसी किसी भी रिक्ति के विरुद्ध अपने स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं करेंगी ।

(vii) इकाईयां अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनो की समीक्षा करेंगी और मामलों को इन स्पष्ट सिफारिशों के साथ निगम कार्यालय को भेज देंगी कि क्या गरीबी सिद्ध की गई है या नहीं ।

(viii) इस योजना के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को लिखित में वचन देना होगा कि वह कंपनी कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों की, जो कर्मचारी पर आश्रित थे, अच्छी तरह से देखभाल करेगा तथा यदि बाद में (किसी भी समय) यह सिद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रहीं है या ठीक तरह से देखभाल नहीं की जा रही है तो उसकी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकती है ।

8. **बचाव खंड** :

8.1. इन नियमों की व्याख्या से संबंधित किसी संदेह या विवाद की स्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा ।

8.2. कंपनी के पास योजना स्थायी रूप से या सीमित अवधि के लिए वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है ।

8.3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास "एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना-2012" के प्रावधानों में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार होगा तथा ऐसे सशोधनों को बोर्ड के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा जायेगा ।

****